झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-21(खण्ड II)/2013-14/ 04 /मत्स्य, राँची, दिनांक 12.04.16

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-53 मत्स्य के अंतर्गत फिश फीड फैक्टरी की स्थापना योजना का कुल मो0 270.00 लाख (दो करोड सत्तर लाख) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना एवं कार्यान्वियन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0 17 दिनांक 03.08.2015 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं0 1312 तथा 1314 दिनांक 03.08.2015 के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद में संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 .... दिनांक .... द्वारा फिश फीड फैक्ट्री की स्थापना योजना की कुल मो0 270.00 लाख (दो करोड सत्तर लाख) रू0 मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से कोडरमा, बोकारो, सरायकेला(चांडिल), रामगढ़ एव राँची जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी हेतु आवश्यक उपकरण एवं मशीनों के कय के साथ- साथ राज्य में मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु प्रति किलो ग्राम फ्लॉटिंग फीड के कय में दस रूपये मात्र की दर से अनुदान के निमित्त राशि का आकलन कर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन से 2000 मे0 टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन संभावित होगा।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उल्लिखित कार्य के लिए स्वीकृत राशि कुल मो0 270.00 लाख (दो करोड सत्तर लाख) रू0 मात्र का व्यय निम्न बजट उपबंध के अंतर्गत किया जाएगा जिसके लिए समुचित बजट उपबन्ध एवं योजना उद्व्यय प्राप्त है :-

कमांक	मुख्य शीर्ष, मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)
1	माँग सं0-53 मत्स्य -मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-65-फिश फीड फैक्टरी की स्थापना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य 53 P440500101650545	20.00

2	मॉग सं0-53 मत्स्य -मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन -लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फिश फीड फैक्टरी की स्थापना- विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-मशीन एवं उपकरण 53 P240500101560317	25.00
3	मॉग सं0-53 मत्स्य -मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन -लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फिश फीड फैक्टरी की स्थापना- विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 P240500101560323	100.00
4	मॉग सं0-53 मत्स्य -मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन -लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फिश फीड फैक्टरी की स्थापना-- विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53 P240500101560759	25.00
3	मॉग सं0-53 मत्स्य -मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन -लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-56-मछली चारा कारखाने का निर्माण- विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 P240500796560323	75.00
3	मॉग सं0-53 मत्स्य -मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन -लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -उप शीर्ष-56-फिश फीड फैक्टरी की स्थापना - विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 P240500789560323	25.00
	योग:	270.00

(दो करोड़ सत्तर लाख) रु0 मात्र

3. उपरोक्त कंडिका-2 के विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-लघु निर्माण कार्य मद में स्वीकृत अनुमानित राशि से धनबाद जिले में स्थापित फीड मिल में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफॉरमर एवं अन्य विद्युत कार्य आदि पर व्यय की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार फिश फीड मिल की घेराबंदी का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

निर्माण कार्य का कियान्वयन विभागीय अभियंत्रण कोषांग के तकनीकी मार्गदर्शन में प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् स्थापित PWD Code की प्रक्रिया/प्रावधान के अधीन किया जायेगा। मशीन आदि का कय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित दर पर किया जायेगा।

विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-मशीन एवं उपकरण की स्वीकृत राशि से सरायकेला (चांडिल), बोकारो, रामगढ़, कोडरमा एवं धनबाद में स्थापित फीड मिल के उत्कमण एवं रख-रखाव हेतु प्रति मिल अधिकतम पाँच लाख रूपये की दर से राशि व्यय की जायेगी।

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय में स्वीकृत राशि से उर्जा व्यय एवं इन्ग्रेडियेन्ट्स के क्रय पर व्यय किया जायेगा।

विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु, मत्स्य उत्पादन के लिए क्रय किए गए फीड में दस रूपये मात्र प्रति कि0 ग्रा0 फीड की दर से इस मद की निमित्त राशि का आकलन कर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराया जायेगा। विभाग द्वारा स्थापित फीड मिल अथवा झास्कोफिश से उत्पादित फीड पर ही यह लाभ कृषकों को फीड के रुप में दिया जाएगा। स्वीकृत राशि से लाभुकों को नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरुप योजना के कार्यान्वयन के लिए अलग से भी आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना अंतर्गत जिलावार तथा लघु शीर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट-। के रुप में संलग्न है।

5. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) होंगे जो दिये गये वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

6. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो विभागीय सचिव के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

7. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

9. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा मंत्रिपरिषद से योजना प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

10. यह पूर्णतः राज्य योजना है ।

11. वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत मो0 210.41 लाख रू0 के विरूद्ध वास्तविक व्यय मो0 160.00 लाख रू0 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत मो0 150.0 लाख रू0 के विरूद्ध अब तक व्यय मो0 31.67 लाख रू0 का हुआ है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जाएगा ।

12. इस योजना अन्तर्गत महालेखाकार से अग्रिम समायोजन हेतु राशि लंबित नहीं है।

04
12.04.16

12/4/16

13. इस योजना अन्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है ।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. स्वीकृत योजना का व्यय 1 अप्रैल, 2016 के पश्चात् वित्त विभाग के द्वारा निर्गत व्यय के सामान्य आदेश के पश्चात् आवंटित राशि के अंतर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

12/4/16

(पूजा सिंघल)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 04 /मत्स्य, राँची, दिनांक 12.4.16

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/4/16

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 04 /मत्स्य, राँची, दिनांक 12.04.16

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य / जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/4/16

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक 04 /मत्स्य, राँची, दिनांक 12.04.16

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं मन्वय विभाग/योजना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12/4/16

सरकार के विशेष सचिव

FM